न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 10/2019

1 ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 महेश पुत्र प्रहलाद।
2 दिनेश पुत्र प्रहलाद।
3 मोहनी देवी पत्नी प्रहलाद।
4 पूरण पुत्र महादेव।
5 सुनिता पुत्र प्रहलाद।
6 कमलेश पुत्र पूरणमल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम पोसानी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 भूमिधारी तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोलीड़ा तहसील व जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30.01.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़
बउनवानी प्रकरण महेश आदि बनाम ओमप्रकाश
मुकदमा नम्बर 11/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–04.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2017 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के खेत खसरा नम्बर 271,272,273,274,275,276 में आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 270 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 15फिट चौड़ा रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 271 से 276 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 270 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता मांगा गया है। यह लघुतम रास्ता होना बताया गया है। खसरा नम्बर 270 में से कभी कोई रास्ता नही रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 का रास्ता खसरा नम्बर 265–63, 268–77 में से होकर उपलब्ध है एवं वर्तमान में मौजुद है। वैकल्पिक रास्ता होते हुये विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नही था। नवलगढ़– पोषाणी वाया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पालड़ी रास्ता मौजुद है। जिसमें से आवागमन करते रहे है। रेस्पोडेंट की भूमियां चारागाह से लगती है एवं चारागाह तक कटान का रास्ता है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नही किया है। वैकल्पिक रास्ता होने पर धारा 251ए के अन्तर्गत आवेदन पोषणीय नही होता है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 270 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 11 फिट चौड़े रास्ते से आवेदकगण आवागमन करते रहे है खसरा नम्बर 270 से लगता कटानी रास्ता है। आवेदकगण के खेत में पहुंचने का यही लघुतम रास्ता है इस रास्ते को 15 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु आवेदन किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय ने सभी पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विचाराधीन आदेश पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट द्वारा कथित वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकार्ड में एवं नक्शा ट्रेस में अंकित नही है। विचारण न्यायालय ने नियम 69 की पालना में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(1) पेज 1098, आर.आर.टी. 2019 पेज 285, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 706, आर.आर.टी. 2019 पेज 574 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में आवेदकगण ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 270 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 11 फिट चौड़े रास्ते से आवेदकगण आवागमन करते रहे है खसरा नम्बर 270 से लगता कटानी रास्ता है। आवेदकगण के खेत में पहुंचने का यही लघुतम रास्ता है इस रास्ते को 15 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु आवेदन किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय ने सभी पक्षकारों को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विचाराधीन आदेश पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट द्वारा कथित वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकार्ड में एवं नक्शा ट्रेस में अंकित नही है। विचारण न्यायालय ने नियम 69 की पालना में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1098 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " Rajasthan Tenancy Act, 1955- Section 251-A- New way sanctioned from the land of the petitioners- No other way is available - way sanctioned is proper- Concurrent findings of courts below - Held, Interference declined.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर